कार्यालय जिला परिषद्, जमुई।

आम बन्दोवस्ती सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि जिला परिषद्, जमुई के अधीन निम्नलिखित बस पड़ावों/ठहरावों में ठहरने वाले वाहनों से ठहराव शुल्क वसूली हेतु वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए अभिकर्ता की नियुक्ति खुले डाक द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ (डी0आर0डी0ए0) जमुई में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा।

क्र0	बस पड़ाव/ठहराव का नाम	सुरक्षित राशि	जमानत की राशि	डाक की तिथि	समय
1	महिसोड़ी चौक जमुई।	44,85,000.00	4,48,500.00	24-02-2020	12 बजे पूर्वा0 से
2	विशनपुर, खैरा।	2,35,750.00	23,575.00		
3	चकाई।	4,53,100.00	45,310.00		
4	सिकन्दरा।	50,28,950.00	5,02,895.00		

डाक का नियम एवं शर्तें निम्नलिखित होगीः–

1. डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को डाक निर्धारित तिथि के पूर्व जिलाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र/आधार कार्ड जमा करना होगा तभी वे डाक में भाग ले सकते है।
2. डाक बोलने वाले व्यक्तियों को डाक में भाग लेने के लिए डाक के पूर्व सुरक्षित राशि का (10%) दस प्रतिशत जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी के पदनाम बना हुआ नजारत शाखा में जमा करना होगा।
3. डाक में भूतपूर्व सैनिक अगर भाग लेकर डाक की उच्चतम बोली लगाते है तो उन्हें डाक समाप्ति के पश्चात् तीन दिनों का डाक की सम्पूर्ण राशि जमा करने हेतु समय दिया जायेगा। अगर समय पर जमा नहीं करते है तो उनके द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को डाक की निर्धारित सुरक्षित राशि से प्रारंभिक बोली से शूरू होगी तथा किसी भी स्थिति में कम पर बोली मान्य नहीं होगा।
5. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति द्वारा यदि अंतिम बोली लगाने के बाद 24 घंटे में पूर्ण राशि जमा करने में असक्षम होते है तो अगले डाक में वो सामिल नहीं हो सकेगें।
6. सफल डाक बोलने वाले व्यक्तियों को डाक समाप्ति के पश्चात् डाक की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त बैंक ड्राफ्ट/नगद नजारत शाखा में जमा करना होगा। साथ ही 6 प्रतिशत स्टांप पेपर एवं निबंधन शूल्क 2 प्रतिशत सहित डाक राशि के साथ जमा करना होगा। तभी वाहनों से शुल्क वसुली का परवाना उनको निर्गत किया जायेगा। अगर राशि जमा नहीं करते है तो उनके द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण राशि जब्त करते हुए बोलीदाता का काली सूची में नाम दर्ज किया जायेगा।
7. प्रथम एवं द्वितीय डाकधारी को छोड़ कर अन्य सभी डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को जमानत की राशि वापस कर दी जाएगी।
8. जिला परिषद्, जमुई की स्वीकृति के पश्चात् बंदोवस्तदार को औपबंधिक परवाना प्राप्त होने के पश्चात् जिला परिषद् द्वारा निर्धारित शुल्क वसुलेंगे।
9. द्वितीय उच्चतम डाकधारी को जमानत की राशि एक सप्ताह बाद वापस की जायेगी, चूँकि उच्चतम डाकधारी डाक की सम्पूर्ण राशि डाक समाप्ति के पश्चात् निर्धारित समय तक जमा नहीं होने की स्थिति में द्वितीय उच्चतम डाकधारी के साथ वंदोवस्ती का निर्णय लिया जा सकेगा।
10. सफल डाकधारी की जमानत की राशि डाक की सम्पूर्ण राशि जमा करने के पश्चात् ही द्वितीय डाकधारी को वापस किया जायेगा।
11. बंदोवस्ती लेनेवाले को एक सप्ताह के अंदर जिला परिषद्, जमुई के साथ नियम एवं शर्तो का एकरारनामा करना होगा तथा उक्त एकरारनामा का पूर्ण खर्च बंदोवस्तदार को वहन करना होगा।
12. बंदोवस्तदार द्वारा बस ठहराव के एरिया निर्धारित स्थल के बाहर से गुजरने अर्थात शादी/विवाह/तीर्थ यात्रा एवं भ्रमण करने वाले वाहनों से शुल्क वसूली नहीं किया जा सकता है अगर ऐसा करते है तो बंदोवस्तदार को प्रथमवार में मो0 5000/–(पांच हजार) रू0 का आर्थिक दंड देने के लिए अधोहस्ताक्षरी सक्षम होंगे। तत्पश्चात पुनः ऐसा दृश्टांत पाये जाने पर बंदोवस्ती का एकरारनामा रद्द करने का कार्रवाई की जायेगी।
13. बंदोवस्तदार को बस पड़ाव/ठहराव पर शांति व्यवस्था स्वयं करना होगा, यदि भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाया गया तो बंदोवस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

14. बंदोवस्तदार को शुल्क वसूली का रसीद देना अनिवार्य होगा। शुल्क वसूली हेतु अच्छे आचरण वाले स्टाफ को रखना होगा जिसका खर्च उसे स्वयं वहन करना होगा। यदि भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाया गया तो बंदोवस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी। सभी कर्मी को फोटो युक्त पहचान पत्र देगें एवं उसकी सूची जिला परिषद् कार्यालय में जमा करेगें यदि कतिपय कारण से उसके परिवर्तन होता है तो तुरंत इससे संसुचित करेगें। कर्मी की एक सूची थाना में भी सौपेगें।

15. यदि प्रमाणित हो जाता है कि बंदोवस्तदार अपराधिक मुकदमा में सजावार मुजरीम रह चुके हैं या ऐसा उनके उपर अपराध के लिये सक्षम न्यायालय में संज्ञान लिया हो तो अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा की बंदोवस्तदार के साथ की गई बंदोवस्ती का एकरारनामा एक पक्षीय रूप से रद्द की जायेगी और जमा राशि को जब्त कर ली जायेगी।

16. अधोहस्ताक्षरी को एक या सभी बंदोवस्ती को बिना कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा। किसी भी तरह का पूरा निर्णय लेने के लिये सक्षम होंगे।

17. बंदोवस्तदार को बस पड़ाव के अहातें में स्थित, होटल एवं दुकानों की व्यवस्था एवं उनसे किराया लेने का कोई अधिकार नहीं होगा। यह अधिकार जिला परिषद् को होगा।

18. जिन व्यक्तियों पर जिला परिषद् जमुई का किसी भी प्रकार का बकाया है तथा पूर्व में डाक की राशि समय पर जमा नहीं किये हो तो वे डाक में भाग नहीं ले सकते हैं।

19. बस ठहराव में सफाई/प्रकाश व्यवस्था एवं वाहन परिचालन की व्यवस्था बंदोवस्तदार द्वारा किया जायेगा। बंदोवस्तदार द्वारा निर्धारित किराया एवं शुल्क वसूली का सूचनापट्ट बस पड़ाव के मुख्य स्थान पर लगाना होगा।

20. बंदोवस्तधारी द्वारा किसी प्रकार का अन्य कोई होल्डिंग नहीं लेगें।

21. बस ठहराव/पड़ाव पर ठहरने वाले वाहनों का निर्धारित शुल्क निम्नलिखित है:-

क्रमांक	वाहनों का नाम	शुल्क प्रतिदिन
1	कोच, बस एवं स्टार बस	40/- (चालीस) रूपया
2	मैक्सी/टाटा	30/- (तीस) रूपया
3	जीप/टेकर/जोंगा/कार/मैजिक	25/- (पचीस) रूपया
4	टेम्पू	20/- (बीस) रूपय

उपरोक्त निर्धारित तिथि को किसी कारणवश डाक नहीं होने पर डाक की अगली तिथि दिनांक- 28.02.2020 को 12:00 बजे पूर्वा0 में होगी। पुनः इस तिथि में डाक नहीं होने पर दिनांक- 03.03.2020 को पूर्वा 12:00 बजे पूर्वा0 बजे डाक की कार्रवाई की जाएगी। विशेष जानकारी के लिये जिला परिषद् कार्यालय, जमुई से सम्पर्क किया जा सकता है।

अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बंदोवस्ती रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

ह0/-

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, जमुई।

ज्ञापांक 91 /जि0प0, दिनांक 14-2-2020 /

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, जिला परिषद्, जमुई, एवं स्थानीय सदस्य जिला परिषद्, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, जमुई।